

सं 21034/66/2010-रा0भा0 (प्रशि0)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली, दिनांक जुलाई, 2011

कार्यालय ज्ञापन

29 JUL 2011

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना के अधीन हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और आशुलिपि परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले प्रोत्साहन-नकद पुरस्कार की राशि में वृद्धि तथा निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कार की राशि में वृद्धि।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 16.08.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/34/2007-रा0भा0 (प्रशि0) में आंशिक संशोधन करते हुए नकद पुरस्कारों/ एकमुश्त पुरस्कारों की राशि को निम्न दरों से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है:-

I	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा परीक्षा	वर्तमान नकद पुरस्कार की राशि	संशोधित नकद पुरस्कार की राशि
क.	प्रबोध		
1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1600/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 800/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 200/-	₹ 400/-

ख.	प्रवीण		
1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 1200/-	₹ 1800/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1200/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 600/-

ग.	प्राज्ञ		
1.	70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 1200/-	₹ 2400/-
2.	60 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1600/-
3.	55 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 800/-

II	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण और आशुलिपि परीक्षाएं	वर्तमान नकद पुरस्कार की राशि	संशोधित नकद पुरस्कार की राशि
क.	हिंदी टंकण		
1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 1200/-	₹ 2400/-
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1600/-
3.	90 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 800/-

ख.	हिंदी आशुलिपि		
1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 1200/-	₹ 2400/-
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-	₹ 1600/-
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परन्तु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 400/-	₹ 800/-

III	निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं	वर्तमान एकमुश्त पुरस्कार की राशि	संशोधित एकमुश्त पुरस्कार की राशि
1.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	₹ 1000/-	₹ 1600/-
2.	हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	₹ 1000/-	₹ 1500/-
3.	हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	₹ 1200/-	₹ 2400/-
4.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण परीक्षा	₹ 800/-	₹ 1600/-
5.	हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा	₹ 1500/-	₹ 3000/-

टिप्पणी - जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा, टंकण और आशुलिपि परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं, उनको एकमुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

2. नकद पुरस्कारों एवं एकमुश्त पुरस्कारों की देयता के संबंध में अन्य सभी शर्तें वही होंगी, जो पहले जारी किए गए आदेशों में निहित हैं।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनकी दिनांक 29.06.2011 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या 14(9)/ई.॥(ए)/2007 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

4. यह कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख से मान्य होगा।

(उच्चीकरण)

(सुधीर कुमार मल्होत्रा)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)।
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:-

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/डैस्क।
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सीजीओ कांप्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
5. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को उनकी दिनांक 29.06.2011 की अंतर्विभागीय टिप्पणी संख्या 14(9)/ई.॥ (ए)/2007 के संदर्भ में।
6. अतिरिक्त 100 प्रतियां।

II	<u>Hindi Typing and Stenography Examination of Hindi Teaching Scheme</u>	<u>Existing Rate of Cash Award</u>	<u>Revised Rate of Cash Award</u>
A.	Hindi Typing		
1.	97% or more marks	Rs.1200/-	Rs.2400/-
2.	95% or more marks but less than 97% marks	Rs. 800/-	Rs.1600/-
3.	90% or more marks but less than 95% marks	Rs. 400/-	Rs.800/-
B	Hindi Stenography		
1.	95% or more marks	Rs.1200/-	Rs.2400/-
2.	92% or more marks but less than 95% marks	Rs. 800/-	Rs.1600/-
3.	88% or more marks but less than 92% marks	Rs. 400/-	Rs.800/-

III	<u>Hindi Language, Hindi Typewriting and Stenography examinations of the Hindi Teaching Scheme, through own efforts.</u>	<u>Existing Rate of Lumpsum Award</u>	<u>Revised Rate of Lumpsum Award</u>
1.	Prabodh Examination of the Hindi Teaching Scheme	Rs.1000	Rs.1600
2.	Praveen Examination of the Hindi Teaching Scheme	Rs.1000	Rs.1500
3.	Pragya Examination of the Hindi Teaching Scheme	Rs.1200	Rs.2400
4.	Hindi Typewriting Examination of the Hindi Teaching Scheme	Rs.800	Rs.1600
5.	Hindi Stenography Examination of the Hindi Teaching Scheme	Rs.1500	Rs.3000

Remarks :- The candidates who qualify the Hindi Language, Typewriting and Stenography examinations of the Hindi Teaching Scheme through own efforts will be eligible for the above-mentioned benefits even if they secure 5% less marks than the prescribed percentage, while granting them the Cash Award in addition to Lumpsum Award.

2. For Cash Award and Lumpsum Award, all other terms and conditions will be the same as mentioned in the orders issued earlier.

3. This Office Memorandum issues with the concurrence of Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their I.D. Note No.14(9)/E.II(A)/2007 dated 29.06.2011.

4. This Office Memorandum will come into force from the date of issue.



(Sudhir Kumar Malhotra)
Director

To

1. All Ministries/Departments of the Government of India (As per Standard List)
2. Election Commission of India, New Delhi
3. Union Public Service Commission, New Delhi.
4. Central Vigilance Commission, New Delhi.
5. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.

Copy to:-

1. All attached & subordinate Office of the Ministry of Home Affairs and Department of Official Language
2. All Union Territories.
3. All Sections/Desks Officer in the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language and Department of Justice.
4. Director, Central Hindi Teaching Institute, Paryavan Bhawan, CGO Complex, New Delhi.
5. Ministry of Finance (Department of Expenditure) with reference to their I.D. Note No.14(9)/E.II(A)/2007 dated 29.06.2011.
6. Spare Copies (100)